

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 1.1
(पैराग्राफ 1.2.1 में संदर्भित)

बजट एवं संशोधित अनुमान की वास्तविक खर्च के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.		2003-04		वास्तविक	संदर्भ	
		बजट अनुमान (बी ई)	संशोधित अनुमान (आर ई)		बी ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)	आर ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)
1	राजस्व प्राप्तियां	3,24,172.31	3,38,601.81	3,39,100.13	14,927.82 (4.60)	498.32 (0.15)
	कर राजस्व	1,87,769.52	1,89,138.28	1,88,581.84	812.32 (0.43)	-556.44 (-0.29)
	गैर कर राजस्व (सहायता अनुदान और अंशदान शामिल करते हुए)	1,36,402.79	1,49,463.53	1,50,518.29	14,115.50 (10.35)	1,054.76 (0.71)
2	विविध पूंजी प्राप्तियां	13,200.00	14,500.00	16,952.69	3,752.69 (28.43)	2,452.69 (16.92)
3	ऋण और अग्रिमों की वसूली	20,523.10	67,625.00	69,827.41	49,304.31 (240.24)	2,202.41 (3.26)
4	कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+2+3)	3,57,895.41	4,20,726.81	4,25,880.23	67,984.82 (19.00)	5,153.42 (1.22)
5	सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति	4,91,835.92	4,89,907.23	5,38,492.28	46,656.36 (9.49)	48,585.05 (9.92)
6	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	8,49,731.33	9,10,634.04	9,64,372.51	1,14,641.18 (13.49)	53,738.47 (5.90)
7	सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	2,56,387.26	3,14,250.90	3,69,132.70	1,12,745.44 (43.97)	54,881.80 (17.46)
8	कुल प्राप्तियाँ (6+7)	11,06,118.59	12,24,884.94	13,33,505.21	2,27,386.62 (20.56)	1,08,620.27 (8.87)
9	आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
10	राजस्व व्यय	4,40,676.37	4,42,311.39	4,40,085.58	-590.79 (-0.13)	-2,225.81 (-0.50)
11	पूंजीगत व्यय	42,946.98	37,488.06	35,400.74	-7,546.24 (-17.57)	-2,087.32 (-5.57)
12	ऋण और अग्रिम	32,785.42	31,492.59	31,330.40	-1,455.02 (-4.44)	-162.19 (-0.52)
13	कुल व्यय (10+11+12)	5,16,408.77	5,11,292.04	5,06,816.72	-9,592.05 (-1.86)	-4,475.32 (-0.88)
14	सार्वजनिक ऋण की अदायगी	3,67,078.53	3,88,780.32	4,30,963.06	63,884.53 (17.40)	42,182.74 (10.85)
15	समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)	8,83,487.30	9,00,072.36	9,37,779.78	54,292.48 (6.15)	37,707.42 (4.19)
16	सार्वजनिक खाता संवितरण	2,22,631.29	3,14,580.34	3,91,783.29	1,69,152.00 (75.98)	77,202.95 (24.54)
17	कुल संवितरण (15+16)	11,06,118.59	12,14,652.70	13,29,563.07	2,23,444.48 (20.20)	1,14,910.37 (9.46)
18	राजस्व घाटा (10-1)	1,16,504.06	1,03,709.58	1,00,985.45	-15,518.61 (-13.32)	-2,724.13 (-2.43)
19	राजकोषीय घाटा (13-4)	1,58,513.36	90,565.23	80,936.49	-77,576.87 (-48.94)	-9,628.74 (-10.63)

**संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

2008-09						
क्रम सं.		बजट अनुमान (बी ई)	संशोधित अनुमान (आर ई)	वास्तविक	बी ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)	आर ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)
1	राजस्व प्राप्तियां	7,30,399.81	6,84,220.91	6,53,846.87	-76,552.94 (-10.48)	-30,374.04 (-4.44)
	कर राजस्व	5,08,950.00	4,67,770.00	4,45,119.34	-63,830.66 (-12.54)	-22,650.66 (-4.84)
	गैर कर राजस्व (सहायता अनुदान और अंशदान शामिल करते हुए)	2,21,449.81	2,16,450.91	2,08,727.53	-12,722.28 (-5.74)	-7,723.38 (-3.57)
2	विविध पूंजी प्राप्तियां	10,165.00	2,566.51	565.93	-9,599.07 (-94.43)	-2,000.58 (-77.95)
3	ऋण और अग्रिमों की वसूली	5,992.51	11,193.29	13,509.02	7,516.51 (125.43)	2,315.73 (20.69)
4	कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+2+3)	7,46,557.32	6,97,980.71	6,67,921.82	-78,635.50 (-10.53)	-30,058.89 (-4.31)
5	सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति	18,84,985.73	23,46,023.99	23,95,765.19	5,10,779.46 (27.10)	49,741.20 (2.12)
6	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	26,31,543.05	30,44,004.70	30,63,687.01	4,32,143.96 (16.42)	19,682.31 (0.65)
7	सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	4,19,789.64	4,93,695.78	5,80,749.20	1,60,959.56 (38.34)	87,053.42 (17.63)
8	कुल प्राप्तियाँ (6+7)	30,51,332.69	35,37,700.48	36,44,436.21	5,93,103.52 (19.44)	1,06,735.73 (3.02)
9	आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
10	राजस्व व्यय	7,85,583.70	10,22,935.73	10,10,224.34	2,24,640.64 (28.60)	-12,711.39 (-1.24)
11	पूँजीगत व्यय	84,522.03	84,448.36	77,555.61	-6,966.42 (-8.24)	-6,892.75 (-8.16)
12	ऋण और अग्रिम	9,737.50	15,696.87	14,585.54	4,848.04 (49.79)	-1,111.33 (-7.08)
13	कुल व्यय (10+11+12)	8,79,843.23	11,23,080.96	11,02,365.49	2,22,522.26 (25.29)	-20,715.47 (-1.84)
14	सार्वजनिक ऋण की अदायगी	17,45,574.44	21,28,810.61	21,64,560.52	4,18,986.08 (24.00)	35,749.91 (1.68)
15	समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)	26,25,417.67	32,51,891.57	32,66,926.01	6,41,508.34 (24.43)	15,034.44 (0.46)
16	सार्वजनिक खाता संवितरण	4,03,333.36	3,97,573.90	5,11,887.47	1,08,554.11 (26.91)	1,14,313.57 (28.75)
17	कुल संवितरण (15+16)	30,28,751.03	36,49,465.47	37,78,813.48	7,50,062.45 (24.76)	1,29,348.01 (3.54)
18	राजस्व घाटा (10-1)	55,183.89	3,38,714.82	3,56,377.47	3,01,193.58 (545.80)	17,662.65 (5.21)
19	राजकोषीय घाटा (13-4)	1,33,285.91	4,25,100.25	4,34,443.67	3,01,157.76 (225.95)	9,343.42 (2.20)

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

2013-14						
क्रम सं.		बजट अनुमान (बी ई)	संशोधित अनुमान (आर ई)	वास्तविक	बी ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)	आर ई के संदर्भ में वास्तविक विविधता (प्रतिशत)
1	राजस्व प्राप्तियां	12,55,739.03	12,34,170.47	12,17,798.79	-37,940.24 (-3.02)	-16,371.68 (-1.33)
	कर राजस्व	8,89,128.32	8,40,926.01	8,20,765.89	-68,362.43 (-7.69)	-20,160.12 (-2.40)
	गैर कर राजस्व (सहायता अनुदान और अंशदान शामिल करते हुए)	3,66,610.71	3,93,244.46	3,97,032.90	30,422.19 (8.30)	3,788.44 (0.96)
2	विविध पूंजी प्राप्तियां	55,814.00	25,841.00	29,367.89	-26,446.11 (-47.38)	3,526.89 (13.65)
3	ऋण और अग्रिमों की वसूली	22,054.01	24,307.79	24,549.00	2,494.99 (11.31)	241.21 (0.99)
4	कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+2+3)	13,33,607.04	12,84,319.26	12,71,715.68	-61,891.36 (-4.64)	-12,603.58 (-0.98)
5	सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति	45,93,516.37	40,22,285.01	39,94,966.22	-5,98,550.15 (-13.03)	-27,318.79 (-0.68)
6	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	59,27,123.41	53,06,604.27	52,66,681.90	-6,60,441.51 (-11.14)	-39,922.37 (-0.75)
7	सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	6,04,136.27	5,96,209.43	6,88,649.39	84,513.12 (13.99)	92,439.96 (15.50)
8	कुल प्राप्तियाँ (6+7)	65,31,259.68	59,02,813.70	59,55,331.29	-5,75,928.39 (-8.82)	52,517.59 (0.89)
9	आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
10	राजस्व व्यय	16,35,577.06	16,04,758.51	15,75,096.57	-60,480.49 (-3.70)	-29,661.94 (-1.85)
11	पूंजीगत व्यय	2,51,208.86	1,72,019.63	1,68,844.47	-82,364.39 (-32.79)	-3,175.16 (-1.85)
12	ऋण और अग्रिम	31,468.91	32,503.85	30,999.92	-468.99 (-1.49)	-1,503.93 (-4.63)
13	कुल व्यय (10+11+12)	19,18,254.83	18,09,281.99	17,74,940.96	-1,43,313.87 (-7.47)	-34,341.03 (-1.90)
14	सार्वजनिक ऋण की अदायगी	40,14,248.55	35,31,114.10	35,11,291.32	-5,02,957.23 (-12.53)	-19,822.78 (-0.56)
15	समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)	59,32,503.38	53,40,396.09	52,86,232.28	-6,46,271.10 (-10.89)	-54,163.81 (-1.01)
16	सार्वजनिक खाता संवितरण	5,78,756.30	5,77,417.61	6,49,928.05	71,171.75 (12.30)	72,510.44 (12.56)
17	कुल संवितरण (15+16)	65,11,259.68	59,17,813.70	59,36,160.33	-5,75,099.35 (-8.83)	18,346.63 (0.31)
18	राजस्व घाटा (10-1)	3,79,838.03	3,70,588.04	3,57,297.78	-22,540.25 (-5.93)	-13,290.26 (-3.59)
19	राजकोषीय घाटा (13-4)	5,84,647.79	5,24,962.73	5,03,225.28	-81,422.51 (-13.93)	-21,737.45 (-4.14)

अनुलग्नक 2.1

(पैराग्राफ 2.3.2 में संदर्भित)

सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत उचंत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19			
	क्रेडिट (क)	डेबिट (ख)	निवल उचंत (क - ख)	वास्तविक उचंत (क +ख)
101-वे ले का उचंत	713.16	2,650.67	1,937.51 डेबिट	3,363.83
102- उचंत लेखा (सिविल)	402.86	1,140.57	737.71 डेबिट	1,543.43
108-पी एस बी उचंत	2,286.75	15,978.79	13,692.04 डेबिट	18,265.54

अनुलग्नक 2.2

(पैराग्राफ 2.3.2 में संदर्भित)

“चैक व बिल “ मुख्यशीर्ष के अंतर्गत बकायों का विवरण

(₹ करोड़ में)

गौण शीर्ष	परिभाषिक शब्द	क्रेडिट/ डेबिट	बकाया राशि
8670.101	पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.48
8670.102	वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	3,477.53
8670.103	विभागीय चैक	क्रेडिट	3,254
8670.104	कोश चैक	डेबिट	129.72
8670.105	आई आर एल ए चैक	क्रेडिट	0.59
8670.106	दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	862.37
8670.107	पोस्टल चैक	क्रेडिट	27,272.54
8670.108	रेलवे चैक	क्रेडिट	1,524.70
8670.109	रक्षा चैक	डेबिट	92.97
8670.110	ईलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	1,010.84
8670.111	वेतन एवं लेखा कार्यालय ईलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	4,208.28
8670.112	प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय ईलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	22.21
8670.113	कोश ईलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	185.00
8670.114	विभागीय (सी डी डी ओ) ईलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	डेबिट	62.74
8670	चैक व बिल (कुल)		42,104

अनुलग्नक 2.3

(पैरा 2.3.2.1 का संदर्भ लें)

सिविल मंत्रालयों/विभागों की सूची जहां वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उंचत में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई

(₹ हजारों में)

क्रम सं.	वे ले का / विभाग का नाम	अथ शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंत शेष
1	जल संसाधन	-15,02,045	42,78,666	6,79,665	20,96,956
2	उपभोक्ता मामले, खाद्य व पी डी	-18,867	-3,34,835	-17,641	-3,36,061
3	वित्त (व्यय)	-4,172	0	-82	-4,090
4	वित्त (आर्थिक मामले)	-51,921	0	-2,410	-4,9511
5	वित्त (राजस्व)	-54,472	466	-1,250	-52,756
6	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	-7,79,906	-34,21,499	-20,99,398	-21,02,007
7	औद्योगिक विकास	-96,719	-298	-2,96,844	1,99,827
8	विधि व न्याय	-3,40,740	-7,24,446	11,945	-10,77,131
9	शहरी विकास	-2,63,050	-3,60,906	6,72,139	-12,96,095
10	राष्ट्रपति सचिवालय	5,034	-11,723	1,468	-8,157
11	व्यक्तिगत लोक शिकायत व पेंशन	-70,031	1,61,397	-14,470	1,05,836
12	विज्ञान व प्रोद्योगिकी	-2,13,509	-5,20,877	-803	-7,33,583
13	लोक सभा	-95,076	0	105	-95,181
14	ए जी (ए एवं ई) चंडीगढ़ यू टी	-7,71,573	15,04,014	-8,264	7,40,705
15	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	45,889	-82,302	10,427	-46,840
16	नई व नवीकरण ऊर्जा	-1,53,525	48	1,37,309	-2,90,786
17	बाहरी मामले	-9,04,869	-10,65,045	-1,02,497	-18,67,417
18	चुनाव आयोग	-1,588	-39	2,191	-3,818
19	लक्षद्वीप	2,440	-10,04,362	-8,66,774	-1,35,148
20	कंपनी मामले	-14,44,531	-62,226	-19,33,219	4,26,462
21	शिपिंग मंत्रालय	-1,32,862	-4,74,909	-3,33,277	-2,74,494
22	पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	1,016	-43,791	-30,320	-12,455
23	उर्वरक विभाग	0	-219	-450	231

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.1
(पैराग्राफ 3.1 में संदर्भित)
प्राधिकरण एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	15,46,939.25	80,574.83	16,27,514.08	13,84,062.10	(-)2,43,451.98
पूँजीगत (ऋण व अग्रिम के साथ)	3,28,209.29	92,362.35	4,20,571.64	3,58,890.44	(-)61,681.20
कुल	18,75,148.54	1,72,937.18	20,48,085.72	17,42,952.54	(-)3,05,133.18
प्रभारित					
III. राजस्व	7,06,321.58	9,325.49	7,15,647.07	6,95,458.86	(-)20,188.21
IV. पूँजीगत (ऋण व अग्रिम तथा सार्वजनिक ऋण सहित)	61,05,303.69	1,10,407.23	62,15,710.92	60,88,920.49	(-)1,26,790.43
कुल	68,11,625.27	1,19,732.72	69,31,357.99	67,84,379.35	(-)1,46,978.64
कुल योग	86,86,773.81	2,92,669.90	89,79,443.71	85,27,331.89	(-)4,52,111.82
व्यय को कम करने वाली वसूलियां			3,77,302.41	3,15,668.75	
कुल निवल प्रावधान			86,02,141.30		
कुल निवल व्यय				82,11,663.14	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	28,514.24	600.00	29,114.24	27,994.13	(-)1,120.11
II. पूँजीगत	757.52	66.87	824.39	811.27	(-)13.12
कुल	29,271.76	666.87	29,938.63	28,805.40	(-)1,133.23
प्रभारित					
III. राजस्व	0.80	2.29	3.09	0.23	(-)2.86
IV. पूँजीगत	--	--	--	--	--
कुल	0.80	2.29	3.09	0.23	(-)2.86
कुल योग	29,272.56	669.16	29,941.72	28,805.63	(-)1,136.09
व्यय को कम करने वाली वसूलियां			820.27	821.29	
कुल निवल प्रावधान			29,121.45		
कुल निवल व्यय				27,984.34	

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान विनियोग	पूरक अनुदान विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) आधिक्य (+)	
ग- रक्षा सेवाएँ						
दत्तमत						
I. राजस्व	2,05,018.35	2,803.97	2,07,822.32	2,11,663.64	(+)3,841.32	
II. पूंजीगत	93,897.78	--	93,897.78	95,155.07	(+)1,257.29	
कुल	2,98,916.13	2,803.97	3,01,720.10	3,06,818.71	(+)5,098.61	
प्रभारित						
III राजस्व	107.46	--	107.46	35.58	(-)71.88	
IV पूंजीगत	84.35	97.42	181.77	73.99	(-)107.78	
कुल	191.81	97.42	289.23	109.57	(-)179.66	
कुल योग	2,99,107.94	2,901.39	3,02,009.33	3,06,928.28	(+)4,918.95	
व्यय को कम करने वाली वसूलियाँ			13,410.50	11,289.39		
कुल निवल प्रावधान			2,88,598.83			
कुल निवल व्यय				2,95,638.89		
घ- रेलवे						
दत्तमत						
I. राजस्व	2,52,703.08	0.01	2,52,703.09	2,42,205.24	(-)10,497.85	
II. पूंजीगत	1,93,103.31	0.03	1,93,103.34	1,85,149.26	(-)7,954.08	
कुल	4,45,806.39	0.04	4,45,806.43	4,27,354.50	(-)18,451.93	
प्रभारित						
III राजस्व	395.93	46.00	441.93	384.09	(-)57.84	
IV पूंजीगत	167.46	191.65	359.11	464.84	(+)105.73	
कुल	563.39	237.65	801.04	848.93	(+)47.89	
कुल योग	4,46,369.78	237.69	4,46,607.47	4,28,203.43	(-)18,404.04	
व्यय को कम करने वाली वसूलियाँ			1,80,191.78	1,82,783.41		
कुल निवल प्रावधान			2,66,415.69			
कुल निवल व्यय				2,45,420.02		
कुल						
कुल सी एफ	दत्तमत	26,49,142.82	1,76,408.06	28,25,550.88	25,05,931.15	(-)3,19,619.73
आई	प्रभारित	68,12,381.27	1,20,070.08	69,32,451.35	67,85,338.08	(-)1,47,113.27
कुल योग सी एफ आई		94,61,524.09	2,96,478.14	97,58,002.23	92,91,269.23	(-)4,66,733.00
व्यय को कम करने वाली वसूलियाँ				5,71,724.96	5,10,562.84	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान व व्यय				91,86,277.27	87,80,706.39	
वित्तीय लेखे से भिन्नता					--	
वित्तीय लेखे के अनुसार सी एफ आई से कुल संवितरण				87,80,706.39		

नोट:

- प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के लिए प्रावधान को क्रमशः विनियोग एवं अनुदान कहा जाता है।
- सी एफ आई: भारत की समेकित निधि

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.2.2 में संदर्भित)
100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग सं. और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
राजस्व (दत्तमद)				
1.	1- कृषि, सहयोग व किसानों के कल्याण का विभाग	67,764.99	21,192.27	31.27
2.	3- पशुपालन, डेरी उद्योग व मतस्यपालन विभाग	3,737.29	164.71	4.41
3.	4-परमाणु ऊर्जा	13,928.23	580.74	4.17
4.	5-आयुर्वेद मंत्रालय, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी (आयुष)	2,190.55	145.08	6.62
5.	9-नागर विमानन मंत्रालय	6,681.18	1,056.86	15.82
6.	12-औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग	5,430.61	127.58	2.35
7.	13-डाक विभाग	29,114.24	1,120.11	3.85
8.	14-दूरसंचार विभाग	33,052.54	8,439.63	25.53
9.	16-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,76,983.12	70,289.45	39.72
10.	18-संस्कृति मंत्रालय	2,764.34	256.99	9.30
11.	19-रक्षा मंत्रालय (विविध)	29,515.14	262.92	0.89
12.	22-रक्षा पेंशन	1,08,850.84	7,078.54	6.50
13.	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय	2,536.36	668.66	26.36
14.	24-पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	27,747.97	3,945.17	14.22
15.	27-पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2,683.44	105.24	3.92
16.	29-आर्थिक मामलों का विभाग	4,874.29	2,063.75	42.34
17.	30-व्यय विभाग	413.34	124.73	30.18
18.	31-वित्तीय सेवाओं का विभाग	1,739.08	421.80	24.25
19.	33-राजस्व विभाग	1,80,941.25	56,519.00	31.24
20.	35-अप्रत्यक्ष कर	7,418.02	482.38	6.50
21.	39-पेंशन	47,170.00	2,675.50	5.67
22.	40-राज्यों को अंतरण	32,500.00	12,014.81	36.97
23.	41-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,400.03	680.87	48.63
24.	42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	78,297.08	3,928.06	5.02
25.	44-वृहत उद्योग विभाग	739.26	168.11	22.74
26.	48-पुलिस	83,968.52	237.41	0.28
27.	56-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	33,146.56	8,138.19	24.55
28.	57-स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग	87,392.86	9,383.05	10.74
29.	58-उच्चतर शिक्षा विभाग	47,562.48	10,802.89	22.71

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

क्रम सं .	अनुदान / विनियोग सं. और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
30.	60-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	9,740.83	454.86	4.67
31.	61-कानून एवं न्याय	2,586.36	279.01	10.79
32.	65-खनन मंत्रालय	1,994.27	670.53	33.62
33.	66-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,535.01	855.16	18.86
34.	67-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5,106.26	645.85	12.65
35.	68-पंचायती राज मंत्रालय	825.23	139.05	16.85
36.	70-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,438.81	115.75	8.04
37.	74-ऊर्जा मंत्रालय	16,998.71	109.03	0.64
38.	76-लोकसभा	793.82	122.09	15.38
39.	80-रेल मंत्रालय	2,52,703.09	10,497.85	4.15
40.	81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	23,153.13	4,996.94	21.58
41.	82-ग्रामीण विकास विभाग	1,89,477.35	4,649.00	2.45
42.	83-भूमि संसाधन विभाग	2,511.40	637.86	25.40
43.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4,786.98	222.39	4.65
44.	87-जहाजरानी मंत्रालय	2,183.09	229.86	10.53
45.	88-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	3,141.04	584.88	18.62
46.	94-कपड़ा मंत्रालय	8,609.92	1,937.79	22.51
47.	97-जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय	8,188.57	1,055.75	12.89
48.	98-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,258.69	2,254.60	8.93
49.	99-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	2,138.56	291.35	13.62
राजस्व (प्रभारित)				
50.	37-ब्याज भुगतान	5,99,991.60	4,437.57	0.74
51.	40-राज्यों को अंतरण	1,09,373.50	15,669.92	14.33
पूंजी (दत्तमत)				
52.	1- कृषि, सहयोग व किसानों के कल्याण का विभाग	113.71	102.93	90.52
53.	14- दूरसंचार विभाग	5,753.76	1,712.32	29.76
54.	16-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	51,424.13	38,570.90	75.01
55.	18-संस्कृति मंत्रालय	255.37	160.54	62.87
56.	19-रक्षा मंत्रालय (विविध)	6,616.76	1,913.03	28.91
57.	23- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय	734.00	613.69	83.61
58.	28-बाह्य मामलों का मंत्रालय	1,636.51	734.66	44.89
59.	29- आर्थिक मामलों का विभाग	26,936.65	6,797.00	25.23
60.	31- वित्तीय सेवाओं का विभाग	1,15,358.03	586.83	0.51
61.	35- अप्रत्यक्ष कर	407.03	154.87	38.05

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

क्रम सं .	अनुदान / विनियोग सं. और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
62.	42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	4,735.33	420.90	8.89
63.	48-पुलिस	11,083.01	1,512.56	13.65
64.	49-अंडमान एवं निकोबार द्वीप	600.94	127.57	21.23
65.	53-लक्षद्वीप	266.71	113.26	42.47
66.	56-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	16,914.76	1,229.06	7.27
67.	58-उच्चतर शिक्षा विभाग	2,752.00	489.50	17.79
68.	61-कानून एवं न्याय	3,972.14	295.18	7.43
69.	72-पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3,959.18	1,800.86	45.49
70.	74-ऊर्जा मंत्रालय	3,234.96	274.53	8.49
71.	80-रेल मंत्रालय	1,93,103.34	7,954.08	4.12
72.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1,36,419.40	2,406.85	1.76
73.	87-पोत परिवहन मंत्रालय	546.66	178.26	32.61
74.	88-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	259.00	196.15	75.73
75.	89-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग	407.41	130.01	31.91
76.	97- जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय	730.88	405.79	55.52
पूंजी (प्रभारित)				
77.	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	181.77	107.78	59.29
78.	38-ऋण की चुकौती	61,91,567.49	1,26,622.11	2.05
79.	40-राज्यों को अंतरण	23,900.84	126.74	0.53
कुल			4,69,669.55	

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.3
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)

निधि के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु /उप शीर्ष	कुल उपलब्ध प्रावधान (ओ+एस+आर)	वास्तविक व्यय	अंतिम व्यय आधिक्य
अनुदान सं. 13 डाक विभाग				
1.	3201.01.101.01- सर्किल कार्यालय	378.24	407.59	29.35
2.	3201.01.101.03- डाक मण्डल	753.70	1,016.28	262.58
3.	3201.01.101.04- रेलवे डाक सेवा (आर.एम.एस.) मंडल	123.81	194.74	70.93
4.	3201.02.101.01-विधमान डाकघर	8,761.06	8,853.51	92.45
5.	3201.04.101.01- लेखापरीक्षा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की लागत	115.00	144.45	29.45
अनुदान सं . 14 दूरसंचार विभाग				
6.	3451.00.091.12- नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय	207.32	271.51	64.19
7.	2071.01.101.01- निवर्तन तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-साधारण पेंशन	7,009.66	7,111.80	102.14
8.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	1,021.14	1,055.77	34.63
9.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	2,020.32	2,150.22	129.90
अनुदान सं . 19- रक्षा मंत्रालय (विविध)				
10.	2037.00.102.06- तटरक्षक संगठन	2,401.53	2,451.14	49.61
11.	2052.00.090.56- सीमा सड़क संगठन	2,165.15	2,572.99	407.84
12.	2052.00.092.02- रक्षा लेखा विभाग	1,562.75	1,648.57	85.82
13.	2055.00.104.02- जम्मू और कश्मीर लाइट इंफेंट्री (जे के एल आई) प्रभारों का भुगतान किया गया	1,255.86	1,473.89	218.03
अनुदान सं. 20- रक्षा सेवाएं				
14.	2076.00.101- थलसेना के वेतन एवं भत्ते	82,210.40	86,984.90	4,774.50
15.	2076.00.110- भंडार	18,866.07	19,433.26	567.19
16.	2077.00.106- मरम्मत एवं दुरुस्त	1,310.00	1,355.38	45.38
17.	2077.00.110- भंडार	5,970.00	6,267.15	297.15
18.	2077.00.800- अन्य व्यय	736.45	769.73	33.28
19.	2078.00.110- भंडार	8,881.47	8,945.17	63.70
अनुदान सं . 21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
20.	4076.01.103- अन्य उपस्कर	16,993.38	17,923.35	929.97

**संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

क्र.सं.	लघु /उप शीर्ष	कुल उपलब्ध प्रावधान (ओ+एस+आर)	वास्तविक व्यय	अंतिम व्यय आधिक्य
21.	4076.02.103- अन्य उपस्कर	3,548.00	3,626.21	78.21
22.	4076.02.204- नौसेनिक बेडा	11,309.00	11,455.59	146.59
23.	4076.02.205- नौसेनिक डॉकयार्ड	2,345.71	2,748.39	402.68
24.	4076.03.101- ऐयर क्राफ्ट और ऐयरो इंजन	25,300.00	25,326.92	26.92
25.	4076.05.052- मशीन एवं उपस्कर	8,133.35	8,314.55	181.20
अनुदान सं . 22- रक्षा पेंशन				
26.	2071.02.103.03- वायु सेना अवकाश नकदीकरण	697.64	728.16	30.52
अनुदान सं . 28- बाह्य मामलों का मंत्रालय				
27.	3605.00.101.11 - नेपाल को सहायता	730.00	763.39	33.39
विनियोग सं . 37- ब्याज का भुगतान				
28.	2049.01.122- 1अप्रैल 1999 को लघु बचत के निवल संग्रह पर जारी किए गये केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	13,714.83	13,930.22	215.39
29.	2049.03.104.02- अन्य राज्यों की भविष्य निधि	2,943.90	5,407.94	2,464.04
अनुदान सं . 39-पेंशन				
30.	2071.01.117.01 - सरकार का अंशदान	3,938.06	4,046.54	108.48
अनुदान सं . 42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
31.	4210.03.797.02 - केंद्रीय सड़क व अवसंरचना (सी आर आई एफ) निधि से सहयोग	1,922.90	1,952.94	30.04
अनुदान सं . 82- ग्रामीण विकास विभाग				
32.	2505.02.797.01 — राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में हस्तांतरण	61,084.09	61,829.56	745.47
			कुल	12,751.02

अनुलग्नक 3.4
(पैराग्राफ 3.5 में संदर्भित)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक बचत का अभ्यर्पण और गैर-अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	ब्यौरा	बचत	अंतिम दिन तक राशि अभ्यर्पित	वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित नहीं की गई राशि, यदि कोई है
01	कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग	21,295.20	21,044.42	250.78
03	पशुपालन, डेयरी उद्योग व मतस्यपालन विभाग	200.88	176.01	24.87
18	संस्कृति मंत्रालय	417.52	191.69	182.51
24	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	3,945.17	3,930.63	14.54
40	राज्यों को अंतरण	27,811.48	27,784.74	26.74
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	680.87	279.45	1.42
57	विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग	9,383.05	2,009.54	7,343.51
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	11,292.39	3,057.67	8,232.72
65	खनन मंत्रालय	767.44	763.38	4.06
66	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	855.21	843.46	3.56
72	पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,801.96	1,801.93	0.03
74	ऊर्जा मंत्रालय	383.56	382.98	0.58
82	ग्रामीण विकास विभाग	4,654.17	500.55	4,153.62
88	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	781.03	697.20	83.83
94	कपड़ा मंत्रालय	1,965.34	1,779.10	173.25
98	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2,269.48	2,234.08	35.40
99	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	348.71	348.85	-
	कुल		67,825.68	20,531.42

अनुलग्नक 3.5

(पैराग्राफ 3.11 (क) में संदर्भित)

मुख्य शीर्ष के साथ मद शीर्ष का गलत उपयोग

क्रम सं०	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष (पूंजी)	मद शीर्ष (राजस्व)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1. 2.	04- परमाणु ऊर्जा विभाग	4861 5401	21,27 21	1,719.44 262.06	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019) कि व्यय पूंजी प्रकृति का था और इसलिये पूंजी मुख्य शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय दर्ज करने के उपयोग किये गए मद शीर्ष का राजस्व श्रेणी के सम्बंध में था तथा इसे पूंजी व्यय दर्ज करने के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता था
3.	81- सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय	5054	11,13,28	63.81	उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2020)
4.	87- शिपिंग मंत्रालय (नौ परिवहन)	5052	13	4.74	उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2020)
कुल				2,050.05	

अनुलग्नक 3.6
(पैराग्राफ 3.11 (ख) में संदर्भित)
राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

क्रम सं	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण		
1.	81- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2.04
<p>यह व्यय सड़क सुरक्षा पर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने और आई टी विशेषज्ञों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्श शुल्क प्रदान करने के लिए व्यय किया गया था तथा यह अनुदान के राजस्व खंड में मद शीर्ष '28- व्यावसायिक सेवाओं' में बुक किया जाने की जगह पूंजी खंड के मद शीर्ष '53- मुख्य कार्यों' के तहत गलत बुक किया गया था।</p>		
2.	91- अंतरिक्ष विभाग	1.67
<p>बी एन ट्यूब्स की खरीद के प्रति व्यय को राजस्व खंड के सही मद शीर्ष -3402.00.101.09.00.21 'आपूर्ति एवं पदार्थ' के बजाय वी एस एस सी के वेतन एवं लेखा (सी) कार्यालय द्वारा पूंजी अनुभाग के शीर्ष 5402.00.101.07.00.52 (एम एंड ई) में बुक किया गया।</p> <p>विभाग ने कहा (दिसम्बर 2019) कि भविष्य में अनुपालन के लिए टिप्पणी नोट किया गया था।</p>		
3.	91- अंतरिक्ष विभाग	14.41
<p>एस डी एस सी एस एच ऐ आर के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा 131 कर्मचारियों के उपदान के भुगतान और अवकाश नकदीकरण के लिए व्यय किया गया था और यह राजस्व खंड के सही मुख्य शीर्ष 2071-'पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के बजाय पूंजी खंड के शीर्ष 5402.00.101.17.00.52 (यंत्र एवं उपकरण) के तहत बुक किया गया था।</p> <p>विभाग ने कहा (दिसम्बर 2019) कि इस राशि में पिछली देयताएं (कर्मचारी देयता, वी आर एस निपटान आदि) शामिल हैं जो हिंदुस्तान ओरगनिक कैमिकल लिमिटेड (एच ओ सी एल) से एन 204 संयंत्र के अधिग्रहण की लागत पर थी। इसलिए पूरे व्यय के सारे उत्तरदायित्व के व्यय को पूंजी हिंदुस्तान ओरगनिक कैमिकल लिमिटेड की अधिग्रहण लागत के रूप में लिया गया था।</p> <p>यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग ने संयंत्र का कार्यभार कर्मचारियों सहित लिया था और अब एच ओ सी एल के कर्मचारी विभाग के कर्मचारी बन गए थे। अतः उपदान तथा कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण का भुगतान शीर्ष -2071 'पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत बुक किया जाना था।</p>		
4.	80- रेल मंत्रालय	1.62
<p>मंत्रालय ने डीप स्क्रीनिंग, टैम्पिंग मशीन, पी-वे की मरम्मत तथा रखरखाव को राजस्व खंड मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 02) के बजाय पूंजी खंड (मुख्य शीर्ष 5002 एवं 5003) में गलत गलत बुक किया था।</p>		
5.	80- रेल मंत्रालय	2.67
<p>वी एच एफ संचार कार्यों के लिए 2.67 करोड़ को राजस्व खंड (मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 उप मुख्य शीर्ष 05) के बजाय नई लाइन (पी एच 1100) में गलत बुकिंग की गई।</p>		

संघ सरकार के 2018-19 के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

क्रम सं	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण		
6.	91- अंतरिक्ष विभाग	149.73
<p>16 प्रकरणों में, व्यय राजस्व खंड के तहत मद शीर्ष '21- आपूर्ति व सामग्री' के अंतर्गत गलत बुक किया गया था जिसे पूंजी खंड में विद्यमान आदेशों के तहत मद शीर्ष '60- अन्य पूंजी व्यय' के तहत बुक किया जाना चाहिए।</p> <p>विभाग ने बताया (दिसम्बर 2019) कि व्यय विविध व्यय जो कि राजस्व प्रकृति के थे न कि वास्तविक संपत्ति के।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है। वित्तीय प्रावधानों के अनुसार, उपभोज्य/व्यय जो कि सीधे तौर पर वास्तविक संपत्ति (परियोजना/सैटेलाइट/लॉन्च वहीकल) के कारण होते हैं, जिनका जीवन एक वर्ष से अधिक होता है, को पूंजीगत किया जाना है। मिशन के उपभोज्य व्यय जो वास्तविक संपत्ति के प्रति सीधे हिसाब में नहीं लिए जाते/ बुक नहीं किए जाते हैं, सुसंगत उपशीर्ष के अंतर्गत मद शीर्ष '21-आपूर्ति व सामग्री' के तहत बुक किए जा सकते हैं।</p>		
7.	91- अंतरिक्ष विभाग	1.10
<p>यू आर एस सी सी के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा व्यय हैंड हैल्ड एक्पलोसिव वैपर डिटेक्टर , ई क्यू पू टी वी एच एफ बेस स्टेशन/ रीपीटर आदि की खरीद पर किया गया तथा इसे पूंजी खंड के सही मद शीर्ष 5402.00.101.74.00.52 (यंत्र एवं उपकरण) के बजाय राजस्व खंड के मद शीर्ष 3402.00.101.74.00.28 (व्यावसायिक सेवाएं) के तहत बुक किया गया।</p>		
8.	91- अंतरिक्ष विभाग	3.38
<p>यू आर एस सी सी के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा एस ऐ बी ई आर सीमूलेशन सॉफ्टवयर की खरीद पर व्यय किया गया और इसे पूंजी खंड के सही मद शीर्ष -5402.00.101.74.99.52 (आई टी – यंत्र एवं उपकरण के बजाय राजस्व खंड के मद शीर्ष 3402.00.101.74.00.21 (आपूर्ति व पदार्थ) के अन्तर्गत बुक किया।</p>		